

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2016—पौष 6, शक 1938

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1 (बी) 47-2016-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में—

(एक) अनुक्रमांक-2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2.	संयुक्त संचालक, अभियोजन	2	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600	ग्रेड वेतन

(दो) अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	उप संचालक, अभियोजन/ लोक अभियोजक.	80	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600	ग्रेड वेतन

(तीन) अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
"4.	जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (मुख्यालय 4 पद)	156	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन		

(चार) अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
"5.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/सहायक संचालक, (मुख्यालय 1 पद)	910	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड वेतन		

2. अनुसूची-दो में—

(एक) कॉलम (3) में, पद संयुक्त संचालक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	"संयुक्त संचालक		2	-	100 प्रतिशत"	

(दो) कॉलम (3) में, पद उप संचालक/लोक अभियोजक (मुख्यालय) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	"उप संचालक/लोक अभियोजक (मुख्यालय)		80	-	100 प्रतिशत"	

(तीन) कॉलम (3) में, पद जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (मुख्यालय 4 पद) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	"जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (मुख्यालय 4 पद)		156	-	100 प्रतिशत"	

(चार) कॉलम (3) में, पद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उससे संबंधित कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित कॉलम (4) में प्रविष्टि स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		“सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/सहायक संचालक (मुख्यालय 1 पद)	910”			

3. अनुसूची-तीन में—कॉलम (2) में, पद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/सहायक संचालक	24 वर्ष	30 वर्ष	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष और प्रथम श्रेणी धारकों या बार में दो वर्ष व्यवसाय वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी”

4. अनुसूची-चार में—

(एक) कॉलम (3) में, पद सहायक संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (द्वितीय श्रेणी).		5 वर्ष	उप संचालक, लोक अभियोजक/ लोक अभियोजक मुख्यालय (प्रथम श्रेणी)”	

(दो) कॉलम (3) में, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी).		6 वर्ष	“जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)”	

(तीन) कॉलम (3) में, पद अधीक्षक/सहायक वर्ग-1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“अधीक्षक		5 वर्ष	प्रशासकीय अधिकारी/ (अनुसचिवीय)”	

No. F-1-(B) 47-2016-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Prosecution (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1991, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Schedule-I,—

- (I) For serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2.	Joint Director of Prosecution	2	Class-I	15600—39100+7600	Grade Pay

- (II) For serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Deputy Director of Prosecution/ Public Prosecutor.	80	Class-I	15600—39100+6600	Grade Pay

- (III) For serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	District Public Prosecution Officer/Additional District Public Prosecution Officer (H. Q. 4 Post).	156	Class-II	9300—34800+4200	Grade Pay

- (IV) For serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	Assistant District Public Prosecution Officer/ Assistant Director (H. Q. 1 Post).	910	Class-II	9300—34800+3600	Grade Pay

2. In Schedule-II,—

- (I) In Column (3), for the Post of Joint Director and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	"Joint Director		2	-	100%	

(II) In Column (3), for the Post of Deputy Director/Public Prosecutor (H. Q.) and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		“Deputy Director/Public Prosecutor (H. Q.).	80	-	100%	

(III) In Column (3), for the Post of Director Public Prosecution Officer/Additional District Public Prosecution Officer (H. Q. 4 Post) and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		“District Public Prosecution Officer/Additional District Public Prosecution Officer (H. Q. 4 Post).	156	-	100%	

(IV) In Column (3), for the Post of Assistant District Public Prosecution Officer and entry relating thereto, in column (4), the following post and entries relating thereto in column (4) shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		“Assistant District Public Prosecution Officer/ Assistant Director (H. Q. 1 Post).	910”	-		

3. In Schedule-III, in Column (2), for post Assistant District Public Prosecution Officer and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Assistant District Public Prosecution Officer/ Assistant Director.	24 years	30 years	A Degree in Law from any recognized University or equivalent, persons possessing first division or 2 years practice at Bar or Higher Qualification shall be preferred”

4. In Schedule-IV,—

(I) In Column (3), for post Assistant District/District Public Prosecution Officer/Additional District Public Prosecution Officer (Class-II) and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“District Public Prosecution Officer/ Additional District Public Prosecution Officer (Class-II).	5 years	Deputy Director Public Prosecutor / Public Prosecutor Head Quarter Class-I		

- (II) In Column (3), for the post of Assistant District Public Prosecution Officer (Class II) and entry relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		“Assistant District Public Prosecution Officer/ Assistant Director (Class-II).	6 years	Director Public Prosecution Officer/Additional District Public Prosecution Officer (Class-II).”.	

- (III) In Column (3), for the post of Superintendent/Assistant Grade-1 and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		“Superintendent	5 years	Administrative Officer (Ministrial).”.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.